चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 26.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 26.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 26.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड से दौड़ लगवायी गयी। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण बारी - बारी ड्रिल करवाकर

ड्रिल व शस्त्रों के बारे में बताया गया साथ ही जेटीसी कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम व नव निर्मित भवन का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया। परेड के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव उपस्थित रहें।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 एफटीसी जनपद चित्रकूट श्रीमती इला चौधरी द्वारा दिनाँक 25.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 5282/2011 धारा 427,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. ननकू यादव पुत्र रामलाल 2. श्रीमती रनुवा देवी पत्नी ननकू यादव निवासीगण मजरा कंठीपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह द्वारा केश नं0 45/2019 धारा 120 सीआरपीसी/147 बीएनएसएस के वारंटी अभियुक्त उमाशंकर पटेल उर्फ कल्लू पुत्र शिवनायक निवासी लौढौता कला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा जनसुनवाई/आईजीआरएस का कार्य देख रहे समस्त थानों के पुलिस कर्मियों को जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में मीटिंग की गयी । अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि जनसुनवाई/आईजीआरएस पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है । इस पोर्टल पर प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है तथा जनपद एवं थाना स्तर पर फीडबैक में सुधार के संबंध में भी निर्देशित किया गया । आईजीआरएस/जनसुनवाई की निस्तारण हेतु शासन द्वारा समय निर्धारित किया गया है,शासन के द्वारा दिये गये समय के अन्दर आईजीआरएस/जनसुनवाई को पोर्टल पर अपलोड करें ताकि जनपद की स्थिति में सुधार हो । यह आईजीआरएस/जनसुनवाई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं के प्रति नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना है। इस प्रणाली से नागरिकों को उनकी शिकायते दर्ज करने,ट्रैप करने और समाधान प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है । यह प्रणाली शासन/पुलिस के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सहायक है। इस प्रणाली से पुलिस के कार्यशैली में भी काभी बदलाव आया है । इसमें सीएम डैसबोर्ड,डीआईजी,आईडी,डीएम व अन्य कई पोर्टल होते है जिसकी अलग अलग समय शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
इस दौरान श्री प्रदीप कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक आईजीआरएस मौजूद रहें।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका सेवी पुत्री न्याज अहमद द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष पति मो0 आरिफ द्वारा लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज,मारपीट तथा दान दहेज के लिए प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी देवी व महिला आरक्षी शिवाग्नी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस मे पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी शिवाग्नी

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में थानों पर खड़े वाहनों के निस्तारण के रुप में Operation Clean के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थाना परिसर भरतकूप में खड़े 34 मोटर साइकिल लावारिस/जब्तशुदा की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी सदर द्वारा दिनांक 25.08.2025 के माध्यम से दिनांक 26.08.2025 नियत की गयी और समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराते हुए प्रचार प्रसार कराया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को मंगल सिंह नायब तहसीलदार कर्वी, श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक भरतकूप एवं हे0मु0 भूरालाल की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही थाना परिसर में शुरू की गयी जिसमें बोली लगाने हेतु उपस्थित 17 व्यक्तियों के सामने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बोली प्रारम्भ की गयी। सभी 34 वाहनो की अन्तिम बोली अजय सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा 1,00,000/- (एक लाख) रुपये बोली गयी जिसे अन्तिम रुप देते हुए कागजात तैयार कर वाहनों को अंतिम बोली दाता को सुपुर्द कर रूकसत किया गया। इस प्रकार थाना परिसर भरतकूप में खडे 34 मोटर साइकिल वाहनों की नीलामी कार्यवाही पूर्ण की गयी।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा उ0नि0 प्रभुनाथ यादव प्रभारी मॉनिटरिंग सेल एवं उनकी टीम टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 26.08.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2019 धारा 307/506

भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पारस सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.06.2019 को वादी धीरेन्द्र पुत्र स्व0 छत्रपाल सिंह निवासी लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दिया गया कि दिनांक 23.06.2025 को अभियुक्त पारस सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र निवासी उपरोक्त द्वारा वादी के पुत्र मंयक सिंह उम्र 25 वर्ष को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार कर देना जिससे वादी के पुत्र को गम्भीर चोट आना तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 116/2019 धारा 307/506504 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा द्वारा की गई। उ0नि0 उपरोक्त द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 17.12.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द्र कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा ग्राम भभई में महिला को लाठी डण्डों से मारकर हत्या करने के नामजद अभियुक्त सहित विवेचना से प्रकाश में आये 03 आरोपी अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.08.2025 को वादी सत्यनारायण पुत्र लालजी निवासी ग्राम लोधी थाना बसंतपुर जनपद बलरामपुर छत्तीसगढ़ द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि दिनांक 22.08.2025 को मेरी माँ देवंती पत्नी लालजी सदगुरू नेत्र चिकित्सालय जानकीकुण्ड म0प्र0 आँख का इलाज कराने कैम्प के माध्यम से आयी थी। जो वहाँ एडमिट होने के बाद दिनांक 24.08.2025 को अस्पताल से बिना बताये भटकते हुए ग्राम भभई चौकी शिवरामपुर में छोटेलाल पुत्र रामकृष्ण यादव निवासी भभई चौकी शिवरामपुर के खेत पहुंच गयी। छोटेलाल उपरोक्त ने कुछ ग्राम वासियों के साथ मिलकर लाठी डण्डो से मेरी माँ के साथ मारपीट की जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 542/25 धारा 105 बीएनएस बनाम छोटेलाल उपरोक्त व कुछ ग्रामवासी पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को घटना में सम्मलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 26.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त छोटेलाल उपरोक्त व विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. पप्पू वर्मा पुत्र शंकर लाल 2.मत्तू यादव उर्फ सतेन्द्र पुत्र छुट्टन यादव 3.बच्चा पुत्र जयकरन निवासीगण भभई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त धारा 105 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 103(1),191(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गठित टीम द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।